

## निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 878-79 /स0क0/अनु0/स्वै0सं0/2017-18

लखनऊ: दिनांक : 17 अक्टूबर, 2017

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
अलीगढ़।

विषय-स्वैच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोया बादशाहपुर, पोस्ट खास, एटा द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के बच्चों हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेन्सरी, 10 वेड हास्पिटल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री रामबाबू पूर्व प्रधान, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति प्रा० व पो० लोया बादशाहपुर एटा के पत्रांक-643 दिनांक 10.10.2017 द्वारा भारत सरकार की योजनान्तर्गत सिलाई कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, अनावासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेन्सरी, 10 वेड हास्पिटल, ब्यूटी पार्लर, विडियो फोटोग्राफी प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित किये जाने के लिए सीधे प्रार्थना पत्र निदेशालय को प्रेषित किया गया है। संस्थाध्यक्ष के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2017 के साथ संलग्न समस्त अभिलेखों को मूलरूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि संस्थाध्यक्ष के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2017 के बिन्दु 01 से 07 पर अंकित योजना में संबंधित प्रस्ताव संलग्न चैकलिस्ट के अनुसार समस्त औपचारिकताएँ/अभिलेखों व पूर्ण करने हुए प्रत्येक योजना का अलग-अलग अनुदान प्रस्ताव 31/32 बिन्दुओं की संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ जिलाधिकारी की स्पष्ट संमति सहित ऑनलाइन के माध्यम से तथा हार्डकापी दो प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार मूलरूप में।

(पी०सी० उपाध्याय)  
अपर निदेशक।

प्रतिनिधि-श्री रामबाबू पूर्व प्रधान, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, बाबूजी मार्केट वैष्णो धाम के सामने एटा चूँगी जी०टी० रोड अलीगढ़ के तृचनार्थ प्रेषित।

(पी०सी० उपाध्याय)  
अपर निदेशक



संख्या-<sup>136</sup> भा0स0 / 60-3-12-3(9) / 09

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
महिला कल्याण, उ0प्र0,  
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

लखनऊ:: दिनांक:: 23 अगस्त, 2012

विषय:- स्वैच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद का जनपद मैनपुरी हेतु सामान्य सहायता प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-16-72/2011-सी0एस0डब्ल्यू0बी0, दिनांक 3-8-2012 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्था के सामान्य सहायता प्रस्ताव के संबंध में मांगी गई आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)  
अनु सचिव।



भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सामान्य सहायता योजना के प्रस्तावों के संवीक्षण एवं उसके संबंध में राज्य सरकार की संस्तुति प्रदान करने के लिए प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 01.07.2011 का कार्यवृत्त।

भारत सरकार द्वारा सामान्य सहायता योजना के प्रस्तावों के संवीक्षण एवं उसके संबंध में राज्य सरकार की संस्तुति प्रदान किए जाने हेतु गठित राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति की बैठक प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2011 को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया -

- 1- श्री इन्द्रपाल कन्नौजिया, महाप्रबन्धक, महिला कल्याण निगम, लखनऊ ।
- 2- सुश्री साहिबा हुसैन, स्वैच्छिक संस्था बेट्टी फाउण्डेशन, लखनऊ ।
- 3- डॉ० निर्मला, वीनस विकास संस्थान, अलीगंज, लखनऊ
- 4- श्री रणधीर कुमार सिंह, सचिव, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उ०प्र०
- 5- श्री बिहारी स्वरूप, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० महिला कल्याण निगम/  
निदेशक, महिला कल्याण -- सदस्य संयोजक ।

सदस्य संयोजक द्वारा समिति के विचारार्थ योजनान्तर्गत 02 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिस पर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गए -

क.सं.	संस्था का नाम	प्रस्तावित स्थल / कार्यक्रम / ला०सं०	समिति का अभिमत / निर्णय
1	जन समाज कल्याण ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति, उन्नाव ।	प्र०स्थल-सिकन्दरपुर, उन्नाव प्र० कार्यक्रम-ईट भट्टों पर कार्यरत बच्चों को बेसिक शिक्षा एवं दिवस देखभाल केन्द्र । ला०सं०-300	समिति द्वारा संस्था के प्रस्ताव पर विचार किया गया । सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया ।
2	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	प्र० स्थल-मैनपुरी, प्र०कार्यक्रम-गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा एवं मनोरंजक कार्यक्रम, ला०सं०-600	प्रस्ताव शासन स्तर से बैठक में प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा संस्था के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

( बिहारी स्वरूप )  
निदेशक,

महिला कल्याण, उ०प्र०

13.7.11

( बलविन्दर कुमार )  
प्रमुख सचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

निदेशक  
महिला कल्याण  
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:-

/प्र०का०/स्वयं सेवी संस्था/2008-09 दिनांक 18.8.08

विषय:-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, 3/54 जंगबाज खॉ निकट नखासा चौकी, फर्रुखाबाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, 3/54 जंगबाज खॉ निकट नखासा चौकी, जनपद-फर्रुखाबाद का 100 छात्र/ छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी मेरें द्वारा जाँच की गई है उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम अनुराग वर्मा)  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्र०सं०/595-96 / उपरोक्त तदिनांक

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, आर०बी०वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़- फर्रुखाबाद।

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

निदेशक  
महिला कल्याण  
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:-

/प्र०का०/स्वयं सेवी संस्था/2008-09 दिनांक 12.8.8

विषय:-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सिलारचौरा पो० खुदागंज फर्रुखाबाद के प्रस्ताव के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सिलारचौरा पो० खुदागंज जनपद- फर्रुखाबाद का 100छात्र/ छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी मेरें द्वारा जाँच की गई है उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियो में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम अनुराग वर्मा)  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्र०सं०/ 599-60 / उपरोक्त तदिनांक

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, आर०बी०वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़- फर्रुखाबाद।

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

निदेशक  
महिला कल्याण  
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:-

/प्र०का०/स्वयं सेवी संस्था/2008-09 दिनांक 19.8.8

विषय:-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कुँआखेड़ा-अजमतपुर, कायमगंज फर्रुखाबाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कुँआखेड़ा-अजमतपुर, कायमगंज जनपद- फर्रुखाबाद का 100छात्र/ छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी मेरे द्वारा जाँच की गई है उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम अनुराग वर्मा)  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्र०स०/605-06 / उपरोक्त तदिनांक  
प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, आर०बी०वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़- फर्रुखाबाद।

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्रेषक,

जिला प्रोवैशन अधिकारी  
स्टा ।

सेवार्थ,

निदेशक,  
महिला कल्याण उ०पु०  
लखनऊ ।

पत्रांक 1925 /प्रो०का०/सर्व्य संस्था/2008-09/दि० 07-11-08

विषय:- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामधोय विकास समिति  
जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ रोड फर्रुखाबाद द्वारा  
जनपद शाखा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनता  
सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अवाग्द  
हाउस स्टो जनपद स्टो के प्रस्ताव के संबंध में ।

=====

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण उद्योग  
विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड फर्रुखाबाद द्वारा जनपद  
शाखा अवाग्द हाउस स्टो का 100 छात्र/छात्राओं के लिये  
व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव हुआ है जिसकी मेरे द्वारा जांच  
की गयी है। उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध  
अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। अतः  
आपसे निवेदन है कि उक्त के लिये अनुदान दिये जाने हेतु प्रकल  
संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

टी. एन. तिवारी  
जिला प्रोवैशन अधिकारी  
स्टो  
जिला प्रोवैशन अधिकारी  
स्टो

पत्रांक /तददिनांक

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष आर०बी०वर्मा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामधोय  
विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़  
फर्रुखाबाद ।

07/11/08  
जिला प्रोवैशन अधिकारी  
स्टो  
जिला प्रोवैशन अधिकारी  
स्टो

जिला प्रोवेशन अधिकारी,  
एटा

सेवा में,

निदेशक,  
महिला कल्याण उ० प्र०  
लखनऊ

पत्रांक:- 2028 / पो०का० / स्वै० संस्था / 2008-09 दिनांक:- 03.12.08

विषय:- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़, फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा सामान्य सहायता के अन्तर्गत जनता सुधार<sup>शिष्टा</sup> एवं प्रशिक्षण केन्द्र:- भलौल रोड कस्बा, जैथरा जनपद एटा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा सामान्य सहायता के अन्तर्गत जनता सुधार<sup>शिष्टा</sup> एवं प्रशिक्षण केन्द्र हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसकी मेरे द्वारा जाँच की गयी उक्त संस्था प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

अतः उक्त संस्था के लिए अनुदान स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय

(टी० एन० तिवारी)

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
एटा

पत्रांक:- तददिनांक।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला प्रोवेशन अधिकारी

एटा  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
एटा



प्रेषक:-

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा।

सेवा में,

निदेशक,  
महिला कल्याण उ० प्र०  
लखनऊ।

पत्रांक :- /पो०का०/स्वै० संस्था/2008-09 दिनांक :-

विषय:- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा सामान्य सहायता के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र - ग्रामा बधौली विकास खण्ड जैथरा जनपद-एटा, ग्राम-लोया बादशाहपुर विकास खण्ड -शीतलपुर जनपद-एटा मोहल्ला अवागढ़ हाउस जनपद एटा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा सामान्य सहायता के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसकी मेरे द्वारा जांच की गयी उक्त संस्था प्रस्तावित है अजिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

अतः उक्त संस्था के लिये अनुदान स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक :- उक्तानुसार।

भवदीय

(टी०एन०तिवारी)

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा।

पत्रांक :- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी

जनपद एटा

सेवा में,

निर्देशक,

महिला कल्याण उ० प्र०

लखनऊ।

पत्रांक/११२४ प्र०का० / स्वयं संस्था / 2008-09 / दि० ०२-११-०८

विषय:- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़ रोड़ फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण उद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़ फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा ग्राम लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास विकास खण्ड शीतलपुर का 100 छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव हुआ है जिसकी मेरे द्वारा जांच की गयी है। उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। अतः आप से निवेदन है कि उक्त के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

११/११/०८  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
जनपद एटा  
शिक्षा प्रोवेशन अधिकारी  
एटा

पत्रांक:-

/ तददिनांक

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष आर०बी० वर्मा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

११/११/०८  
जिला प्रोवेशन अधिकारी

जिला प्रोवेशन अधिकारी



प्रेषक,

जिला प्रोबेशन अधिकारी  
बदायूँ।

सेवा में,

निदेशक,  
महिला कल्याण  
उत्तर-प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक  
विषय:-

/जि0प्रो0कार्या0/स्वयं सेवी संस्था/2008-09 दिनांक 19-11-2008  
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जय नारायण वर्मा रोड  
फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं  
व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, धनारी पो0धनारी,वि0ख0 रजपुरा,  
जनपद बदायूँ के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जय नारायण वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्रुखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, धनारी पो0धनारी,वि0ख0 रजपुरा,जनपद बदायूँ के 100 छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें मेरे द्वारा जांच की गयी है, उक्त संस्था पूर्णरूप से प्रस्तावित है, जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान किये जाने हेतु प्रबल सस्तुति की जाती है।

भवदीय

(पी0आर0 सरोज)  
जिला प्रोबेशन अधिकारी  
बदायूँ।

पत्रांक 800- / उपरोक्त तददिनांक।  
प्रतिलिपि:-

1-

अध्यक्ष आर0बी0 वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति  
जयनारायण वर्मा, रोड फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।

जिला प्रोबेशन अधिकारी  
बदायूँ।



30

913

103

①



DHANIPUR, DIST- ALIGARH  
 Ph No - 0571 - 2760181 (emil: [cb1331@canarabank.com](mailto:cb1331@canarabank.com))

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that a Current Account No. 1331201001027 in the name of Bhartiya Gramin Kshetra Gramodhyog Vikas Samiti has been opened in our bank on 19/09/2016. The balance in the same account as on date is Rs. 10000 (Rupees Ten Thousand only).

केनरा बँक  
 For Canara Bank  
 Canara Bank Officer  
 धानिपुर, जिला अलीगढ़  
 Dhanipur, Distt. Aligarh

राजवा पुत्रा



3

प्रक.

निदेशक,  
समाज कल्याण  
उत्तर प्रदेश

सेवा में

उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
समाज कल्याण-अनुभाग-2

पत्रांक-88 /स0क0/अनु0/स्वै0सं0/2014-15.

अखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2015

विषय:- स्वैच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोंयादादशाहपुर, पोस्ट-खास, जनपद-एटा द्वारा प्रधान कार्यालय, स0प्र0 अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3192/26-2-2014, दिनांक 24.12.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करन का कष्ट करें, जो उक्त स्वाच्छक संस्था के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 26/27-9-2013 को की गई संसृति एवं पत्र दिनांक 08.08.2013 जो सीधे संस्था प्रबन्धक को सम्बोधित है की पृच्छा के परिपेक्ष्य में आख्या एवं प्रस्ताव उपलब्ध कसने के निर्देश दिये गये है। जहाँ तक संस्था के रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्त होने का उल्लेख है इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराकर उसकी छायाप्रति उपलब्ध करायी गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। इसी क्रम में अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ने अपने पत्र दिनांक 27.12.2014 द्वारा संस्था की स्थिति को स्पष्ट करते हुए वर्ष 2004-05 की निरीक्षण आख्या को दृष्टवत मानने का अनुरोध किया गया है। अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख एवं संस्था की रजिस्ट्रेशन की नवीनीकरण की प्रति संलग्न कर शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(पी0सी0उपाध्याय)  
उप निदेशक,  
कृते निदेशक।

30.1.15



योगेश कुमार उपाध्याय  
YOGESH KUMAR UPADHYAY



आचार्य  
सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक  
विभाग

ADD. PRIVATE SECRETARY  
MINISTER OF  
SOCIAL JUSTICE AND COMMUNITY DEVELOPMENT  
GOVERNMENT OF INDIA

आदरणीय आर० बी० वर्मा जी,

Dy.No. 140/1030/M(SJ&E)

Dated. 16/11/11

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी को सम्बोधित अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपने अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत हैं, संलग्न कर रहा हूँ। संलग्न प्रस्ताव में इन्होंने अनुदान स्वीकृत कराए जाने का अनुरोध किया है।

माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास) भारत सरकार को भेज दिया गया है।

सादर,

आपका,

(योगेश कुमार उपाध्याय)

श्री आर०बी० वर्मा,

अध्यक्ष,

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्धार विकास समिति,

लोयाबाटशाहपुर, पो० खास, जनपद एटा,

वैष्णवधाम के सामने, एटा चुंगी, जी०टी० रोड, अलीगढ़ (उ०प्र०)



प्रेषक,

अनीता घटजी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,  
भारत सरकार, शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली ।

समाज कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2008

विषय:- प्रदेश में संचालित/प्रस्तावित स्वैच्छिक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तावों को भारत सरकार भेजे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-पी 13011/01/2008-डीपी-दिनांक 28-05-2008 / पत्र संख्या-11020/444/2008-एससीडी-111, दिनांक 18-07-2008 के संदर्भ में एवं शासन के पत्र संख्या-2648/26-2-2008-100(73)/2000टीसी-1, दिनांक 15-10-2008 तथा 3031/26-2-08-100(73)/2000टीसी-1, दिनांक 19-11-2008 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्रांक 1-31/2007-सी.डी.एन., दिनांक 21-03-2007 में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-06-2007 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित ग्रांट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक 18-12-2008 को सम्पन्न हुई ।

3- अतः ग्रांट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक 18-12-2008 में समिति की संस्तुति के आधार पर अनुदान हेतु उपयुक्त पायी गयी 54 संचालित एवं 17 प्रस्तावित स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची एवं प्रस्तावों को संलग्न कर एतद्वारा भारत सरकार के विचारार्थ प्रेषित किये जाने का मुझे निवेश हुआ है। निरीक्षण समिति तथा निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०/राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ०प्र० द्वारा यथासंस्तुत अनुदान की धनराशि संस्था के सम्मुख उल्लिखित है।

संलग्नक-यथावत ।

भवदीय,

(अनीता घटजी)  
विशेष सचिव



De-Addiction Centre

Detailed list 'B' New Cases

SL.NO	Name of the Organization	Amount recommended (In Rs.)
1	वासुदेव तिवारी सेवा संस्थान देवरिया द्वारा कुशीनगर में प्रस्तावित	9,06,000/-
2	नवल शिक्षण एवं शोध संस्थान दलिया द्वारा प्रस्तावित	8,15,400/-
3	स्वै० संस्था अनमोल ग्रामोद्योग सेवा समिति मुसदाबाद द्वारा प्रस्तावित	8,37,000/-

Craft Training Centre

Detailed list 'B' New Cases

SL.NO	Name of the Organization	Amount recommended (In Rs.)
1	स्वै० संस्था भारतीय ग्रामीण ग्रामोद्योग विकास समिति फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तावित सिलाई कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	शासन के पत्र सं०-50 अनु० (26-2-98-1(38)/98 दि० 25-03-1998 द्वारा भारत सरकार को अनुदान हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। सागाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्र संख्या-11020/55/08-एससीडी- 111 दि० 23-06-08 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-60 एम/ 28-2-07 1(38)/98, दिनांक 28 06 07 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित निरीक्षण आख्या पर ग्रांट इन एड कमेटी द्वारा संस्तुति की गयी है।

Seminar For SC/ST Persons

Detailed list 'B' New Cases

SL.NO	Name of the Organization	Amount recommended (In Rs.)
1-क	स्वै० संस्था माता श्री रमाबाई अम्बेडकर स्मारक परिषद राजाजीपुरम लखनऊ द्वारा प्रस्तावित	1,11,000/-
ख-	अखिल भारत दलित विकास परिषद यो-36, राजाजीपुरम लखनऊ द्वारा लखनऊ	1,11,000/-

Total	"A"	+	"B"	Rs.
	4,89,39,167	+	1,51,81,011	= 6,41,20,178/-





प्रेषण,

श्रीवायु सुरेश बाबू,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

श्रेया में,

सचिव,  
भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।



समाज कल्याण अनुभाग-2

तखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 1998

विषय:- वर्ष 1997-98 में लघुचिह्न संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग  
संस्थान- विकास समिति, फतेहगढ़, फतेहाबाद को केववाओं के कदमों  
केतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय स्थापना ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक योजना के अन्तर्गत संस्था का प्रस्ताव राज्य  
सरकार की संतुष्टि सहित नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु  
विचारार्थ उपस्थारित करने का मुझे निदेश हुआ है ।

संलग्न:- प्रतिलिपि ।

भवदीय,

श्रीवायु सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।

संख्या-50330/28-2-98, तखनऊ दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुवर्नाई एवं आवक कार्यालयों हेतु  
प्रेषित :-

- 111- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, तखनऊ को उनके पत्र संख्या-390-92/  
सा००/अनु०/97-98, दिनांक 9 फरवरी, 1998 के संदर्भ में ।
- 121- अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण  
पर्या रोड, फतेहगढ़, फतेहाबाद ।
- 131- संबंधित सहायक/गार्डी कार्यालय ।

ATTESTED



Compared for original  
Advocate Satya Prakash  
29/3/16

श्रेया में,

श्रीवायु सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।



प्रति,

श्रीवाणी सुरेश बाबू,  
अनु सचिव,  
केंद्र प्रमुख, गण्ड.

भेता में,

सचिव,  
भारत सरकार, कल्याण संभाग,  
शास्त्री भवन, काँठ जिल्ला ।

समाज कल्याण अनुभाग-2

तारीख : दिनांक 28 मार्च, 1998

विषय:- वर्ष 1997-98 में स्वीड संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास समिति, कल्याण संभाग, काँठ, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद को अनुसूचित जाति के लोगों हेतु सामाजिक कल्याण को स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता ।

प्रहोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना के अन्तर्गत संस्था का प्रस्ताव राज्य सरकार की संसूति सहित विद्यमान अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ अग्रसारित करने का मुझे निर्देश हुआ है ।

संदर्भ:- यथोक्त ।

भवदीय,

श्रीवाणी सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।

संख्या-997/26-2-98, तद्विनिधि ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सहायक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 111- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, कल्याण को उनके पत्र संख्या-641/स०क०/अनु०/रो०प्र०/97-98, दिनांक 26 मार्च, 1998 के तदर्थ में ।
- 121- अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद ।
- 131- संबंधित सहायक/गार्ड फाईल ।

आज्ञा में,

श्रीवाणी सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।



5  
No. 17020/12/91-R.Coll/SCD, III  
Govt. of India  
Ministry of Welfare

...  
New Delhi, the 1st Dec., 1971

To  
The Secretary,  
Welfare and Social Welfare, Deptt.,  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Lucknow.

Subject - Proposal for grant-in-aid to undertake various activities like rural, housing, mini-dairy, tailoring training received from Dhartiya Gramin Kshetra Gramadyog Vikas Samiti, Farukhabad, Uttar Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter no. 17020/12/91-R.Coll/SCD, III dated 6.9.71 on the above. It is requested that the comments/recommendations on the proposed schemes with specific references to the governmental schedule caste welfare programme in these distts. in these spheres may please be sent to this Ministry as the ~~same~~ is still awaited.

Yours faithfully,

(M.R. Khurana)  
Under Secretary to the Govt.



प्रेषक,

दुर्गा जोशी,  
विशेष तथिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

लेवा में,

तथिव,  
भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

समाज कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 1997

विषय: स्विटिडक संस्था, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति,  
फ्लोइयट्ट, फर्निचरवाट द्वारा वर्ष 97-98 में उपस्था हेतु प्रस्तावित  
महिला लिनाई, कटाई प्रशिक्षण केंद्र को केन्द्रीय तहाबता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना के अन्तर्गत संस्था का प्रस्ताव राज्य  
सरकार की संस्तुति सहित निबमानुसार अनुदान स्वीकृत किंसे जाने हेतु  
विचारार्थ उग्रतारित करने का मुझे निदेश हुआ है ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

दुर्गा जोशी ।  
विशेष तथिव ।

संख्या-4206/11/26-2-97 तदुदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित :-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० 164-67/तक/अनु०/97-98,  
दिनांक 10.9.97 के संदर्भ में ।
2. अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फ्लोइयट्ट, फर्निचरवाट ।
3. संबंधित तहाबक/माई फाइल ।



आज्ञा है

दुर्गा जोशी ।  
विशेष तथिव ।

2

प्रेषक,

आचार्य सुरेश बाबू,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार ।

प्रेषा में

सचिव,  
भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय,  
मिंटो भवन, नई दिल्ली ।

तखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 1998

समाज कल्याण अनुभाग-2

विषय:- वर्ष 1997-98 में स्वेचिउ संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए फर्रुखाबाद जनपद में संस्था द्वारा निजी स्रोतों से संचालित चार महिला सिनाई, कढ़ाई एवं बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सहायता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना के अन्तर्गत संस्था का प्रस्ताव राज्य सरकार की संतुति तहित नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ अग्रसारित करने का मुझे निवेदन हुआ है ।

संलग्न:- यथोक्त ।

भवदीय,

। आचार्य सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।

संख्या-996/111/26-2-98, तदुदिनांक ।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आकषक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 121-- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, तखनऊ को उनके पत्र संख्या-640/स०क०/अनु०/रो०प्र०/97-98, दिनांक 26 मार्च, 1998 के संदर्भ में ।
- 121- अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद ।
- 131- संबंधित सहायक/गार्ड फाईल ।



हाता मे  
28/3/98  
। आचार्य सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।

No. 11-3/98-SD  
Government of India  
Ministry of Social Justice and Empowerment



Room no. 253 'A', 2<sup>nd</sup> floor, 'A' Wing  
Shastri Bhavan, New Delhi-110 001  
Dated the 23<sup>rd</sup> October, 1998.

To  
The Pay and Accounts Officer,  
Ministry of Social Justice & Empowerment,  
Shastri Bhavan,  
New Delhi-110001.

Subject: Grant-in-aid for set up of a project to Bharatiya Gramin Chhetana Gramodyog Vikash Samithi, Farukkabad, Uttar Pradesh under the General grant-in-aid scheme for assistance to the Voluntary Organisations in the field of Social Defence.

-- 0 --

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the payment of Recurring/Non-Recurring grant-in-aid of Rs. 1,02,263/- (Rupees One lakhs two thousand two hundred and sixty three only) to Bharatiya Gramin Chhetana Gramodyog Vikash Samithi, Farukkabad, Uttar Pradesh for Rehabilitation of 25 Children of Prostitute at Farukkabad against an approved expenditure of Rs. 1,13,625/- (Rupees One lakh eighty thirteen thousand six hundred and twenty five only) during the period November, 98 to March, 99 as per the conditions contained with this sanction letter. This is 90% of the total expenditure to be incurred by the organisation. Remaining 10% will be borne by the organisation from its own resources.

2. The break-up of the recurring/non-recurring expenditure of Rs. 1,13,625/- for current financial year given in the Annexure.
3. Sanction of the President is hereby accorded for the release of grant-in-aid of Rs. 87,300/- (Rupees Eighty seven thousand and three hundred only) as first instalment of the period November, 98 to January, 99.
4. Time Limit: The non-recurring grant is to be spent within 12 months from the date of sanction of this grant. The utilization certificate for non-recurring and recurring grant along with the Audited Statement will be submitted by the grantee to the Ministry within 15 months from the date of sanction of this grant.
5. Refund of UNSPENT BALANCE: Unspent balance if any will be surrendered to the Ministry of Social Justice & Empowerment/adjusted in the subsequent grant.
6. Certified that this sanction has been noted at Sl.No. 17 in the Register of Grants.  
The purchase of non-recurring items i.e. machinery/equipments & furniture & fixture, should be made only from authorised dealers at competitive prices and subject to vouchers being produced for inspection.

ATTESTED



23/10/98

Compared to original  
Adm. Satya Prakash  
Gali



8. The Drawing and Disbursing Officer of this Ministry is authorized to draw an amount of Rs. 87,300/- (Rupees Eighty seven thousand and three hundred only) for disbursement to the grantee institution through a demand draft/non-negotiable cheque.

9. The expenditure is debitable to the Major Head 2235. Social Security & Welfare; 02.Social Welfare; 102.Child Welfare; 28-Scheme for Welfare of Street Children; 28.00.31 Grant-in-aid under Demand No.88 of this Ministry for the Year 1998-99 (Plan).

10. This issues under the powers vested in the Ministry and with the concurrence of Finance Wing vide their Dairy No. 3438/Dir(F) dated 9.10.98. The pattern of assistance of rule governing grant-in-aid have received the approval of the Ministry of Finance.

Yours faithfully,

(B.C.Das)

Under Secretary to the Government of India.

Copy for information and necessary action to:-

1. Secretary/President, Bharatiya Gramin Kshetra Gramodyog Vikas Samithi, Jay Narayan Varma Road, Fatehgarh, Faruhkabad, Uttar Pradesh with the request to supply the under mentioned documents before the amount of grant-in-aid is remitted:-

- Bond for Rs. 1,02,263/- in the enclosed prescribed proforma on non-judicial stamp paper
- Advance Stamped Receipt for Rs. 80,300/- in prescribed proforma.
- A letter confirming that the terms and conditions contained in this sanction letter are acceptable to the organisation.

2. The Secretary/Director Social Welfare Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow with reference to his letter No.50 Anu/26-2-98-1[381/98 dated 25.3.98. It is requested that performance of this organisation may kindly be monitored through period reviews at the Secretariat level and inspections carried out by District Magistrate and report relating thereto sent to this Ministry. The points to be covered during review for inspection (indicative not exhaustive) are contained in the enclosed annexure.

3. Copy forwarded to the Collector of Faruhkabad, Uttar Pradesh for information and necessary action, with reference to the endorsement in para 2 above.

- Copy to District Social Welfare Officer, Faruhkabad, Uttar Pradesh.
- The Director of Audit, Central Revenues, I.P.Estate, New Delhi.
- US(F)/US(SD)/SO(B&C)/Sanction

ATTESTED



(B.C. Das)

Under Secretary to the Government of India

ANNEXURE

File No: 11-3/98-SD  
 Name of the Organisation : Bharatiya Gramin Chhetana Gramodyog Vikash Samithi, Farukhabad,  
 Uttar Pradesh  
 Name of the Scheme: General grant-in-aid scheme for assistance to the Voluntary Organisations in  
 the field of Social Defence  
 Number of Children : 25

<u>Sl.No.</u>	<u>Items</u>	<u>Amount in Rupees</u> (November, 98 to March, 99)
1.	<b>Staff:</b>	
(a)	Programme Coordinator (1)-cum- Counsellor @ Rs.2500/- p.m.	12,500
(b)	Non -Formal Educator(1) @ Rs.1500/- p.m.	7,500
(c)	Vocational Trainer (1) @ Rs.1,500/- p.m.	7,500
(d)	Aya @ Rs.900/- p.m.	4,500
(e)	Part time Doctor (1) @ Rs.600/-p.m.	3,000
(f)	Rent for accommodation @ Rs. 3,000/-p.m.	15,000
(g)	Contingency @ Rs.2,000/-p.m.	10,000
(h)	Nutritions @ Rs.5/- per day per child for 25 days in a month	15,625
(i)	Recreation (One excursion)	3,000

NON-RECURRING GRANT

I. Vocational Training equipment, Dari, Furniture etc., @ Rs.35,000/-

ATTESTED

Total :	1,13,625
Less 10% Orgn. Share :	11,362
Less Unspent Balance, for the period :	.....

90% grant from Govt. of India :	1,02,263
---------------------------------	----------

Ist instalment 1998-99 Rs.87,300/- released

(B. C. Das)

Under Secretary to the Government of India





निरीक्षण/स्थायी सत्यापन टिप्पणी

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद - **पुल्ल सिंह शर्मा**  
जिला विकास अधिकारी,  
फर्रुखाबाद।

निरीक्षण स्थान - **भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद द्वारा संचालित जनता सुधार व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, विद्याओं के 25 बच्चों हेतु।** मीठ जटपुरा, बगो शमसाबाद, जिला फर्रुखाबाद।

निरीक्षण तिथि - **30-03-1979**



मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्रांक 2203/अले-मुविउ/79 दिनांक 15-3-79 के क्रम में दिनांक 30-3-79 को अपरान्त 12-30 बजे भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद के द्वारा विकास छात्र शमसाबाद के अन्तर्गत मीठ जटपुरा बगो शमसाबाद में संचालित जनता सुधार व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र विद्याओं के 25 बच्चों हेतु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय संस्था के संयुक्त महाप्रबन्धक श्री सुनीलदत्त, कार्यालय सचिव श्री रमधीर सिंह शाक्य, बरियोजना जिला प्रबन्धक श्री अशोक कुमार शाक्य केन्द्र के स्टाफ सहित मौके पर उपस्थित मिले।

इस केन्द्र पर निम्नांकित 25 बच्चों का बंजीकरण माह 2 नवम्बर, 1988 में करके कक्षा-1 की शिक्षा होते पाई :-

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पता	
1-	कुमारी मन्नु	श्री सुरेश चन्द्र	3-1-89	सिकन्दरपुर, गांधीनगर, शमसाबाद।	
2-	मिथम	सुरेश चन्द्र	4-2-91		
3-	कु सुनीता	टल्लन	15-10-89		
4-	राजकुमार	टल्लन	3-2-91		
5-	रिजन	सुरेश चन्द्र	10-11-92		
6-	कु सोनी	राज	1-5-92		
7-	अमोद कुमार	टल्लन	1-1-91		
8-	रिंकु	सुरेश	5-5-88		
9-	कु रीना	सोनि लाल	6-3-89		
10-	कु सुनी	राज	2-7-93		
11-	उमेश चन्द्र	सोनि लाल	3-8-91		
12-	चन्द्रन	मन्ना	7-3-89		
13-	अमोद कुमार	टल्लन	3-3-89		
14-	बिबल	मन्ना	4-6-91		
15-	सन्तीषा	सोनि लाल	4-5-86		
16-	राज	मन्ना	4-5-92		
17-	राजेश	श्यामबाहू	2-4-92		
18-	सनील	राज	3-8-93		
19-	कु सुमता	मनोहर	4-3-93		
20-	कु रेखा	मनोहर	5-3-92		ग्राम नीवलपुर, शमसाबाद।
21-	बुजेश कुमार	अमर सिंह	11-7-90		
22-	वीरपाल	भानुपाल	23-6-92		
23-	रामपाल	बाहेराम	10-6-93		
24-	अमर सिंह	जयराम	28-7-90		
25-	विश्वनाथ	जयपाल	3-2-92		



Compared to original  
Abu Satyaprakash

[2]

अपोहस्ताक्षरी द्वारा उपर्युक्त संजीकृत 25 बच्चों की उपस्थिति लेने पर मौके पर 21 बच्चे उपस्थित मिले जबकि लगभग 18-20 बच्चे बिना संजीकरण के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आये हुये मिले । अपोहस्ताक्षरी द्वारा संजीकृत छात्र/छात्राओं से उनके परिवार में उनके माता/पिता के सम्बन्ध में जानकारी को गहरी तौर पर ज्ञात हुआ कि सभी छात्र/छात्राये नट जाति के हैं तथा उनके माता-पिता के द्वारा समय-समय पर नाच, गाना बजाना एवं समय-समय पर मजदूरी एवं भीख मांग कर भी अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता है उ ये लोग कलाबाजी का कार्य करके भी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं । उनकी माताएं घरलू महिला के साथ में रह रही हैं, लेकिन धूम्र-कमी नाच गाने का कार्य करने पर महिलाओं को जरायम वेशा करने पर भी मजबूर किया जाता है । परन्तु निरीक्षण के समय ऐसा कोई प्रामत्ता प्रकाश में नहीं आया । जानकारी करने पर बच्चों ने बताया कि इस केन्द्र पर उन्हें प्रतिदिन लन्च के साथ में फल/मिठाई भी दी जाती है तथा मनोरंजन के लिए टी0वी0 भी दिखाया जाता है । मौके पर केन्द्र के एक कमरे में ब्लैक स्टूड स्ट्राइट पोर्टेबल ऑनलाइन टी0वी0 भी पाया गया तथा 5/- प्रति छात्र की दर से बच्चों को जलपान कराये जाने की सुविधा उपस्थित छात्र/छात्राओं ने की, जिसका विवरण रजिस्टर/पत्रावली का अवलोकन करने पर भी पाया गया ।

इस केन्द्र पर निम्नांकित स्टाफ मौके पर उपस्थित मिला, तथा उनसे उन्हें प्रतिमाह मिलने वाले वेतन की जानकारी करने पर निम्न स्थिति बताई गई :-

क्र	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	देय वेतन
-	श्री अमर सिंह	संचालक अधिकारी	₹ 2500/-
-	श्री अरुण कुमार	प्युब्लिसिटीक अनुदेशक	₹ 1500/-
-	श्री प्रमोद सिंह	अनुदेशक	₹ 1500/-
-	श्रीमती सुनीता कुमारी	अध्या	₹ 900/-
-	श्री हेमचन्द्र	पाठ पठन हाकर	₹ 600/-

इस केन्द्र पर बच्चों के बैठने के लिए दरी, बच्चों के पढ़ने-लिखने की तहियतयां-पुस्तिकाये उपलब्ध पाई गई, जिन्हे केन्द्र द्वारा निःशुल्क बच्चों को उपलब्ध कराया गया है । स्टाफ हेतु 7 कुर्तियां, 4 मेजे, 4 स्टूल, एक डेक पेयर तथा एक जलमारी एवं अन्य आवश्यक सामग्री मौके पर उपलब्ध पाई गई तथा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से सभी बच्चे संतुष्ट दिखे ।



004030—3

विषय:

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद द्वारा तैयारित 25 बच्चों हेतु जनता सुधार व्यवसायिक/शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जटपुरा, प्रमसाबाद में संस्था कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संतोषजनक पाया गया। चूंकि इस केन्द्र में बंजीकृत सभी 25 बच्चे नट जाति के नाच, नाना बजाना कर भरण-पोषण करने वाले परिवार के हैं तथा श्रेयशायुक्त सम्बन्धी दुर्घर्ष संज्ञान में नहीं आते हैं, अतएव यह उचित होगा कि संस्था द्वारा अपने उक्त केन्द्र पर समाज के असाध्य, फकीर एवं निम्नस्तर पिछड़ों/अक्षरों के परिवार के बच्चों को भी व्यवसायिक शिक्षा दिलाये जाने हेतु कार्य किया जाए ताकि उनके रहन-सहन एवं खान-पान में परिवर्तन आसके और सीढ़ियों से उत्पीड़ित एवं शोषण के प्रसार से लोग राष्ट्र एवं विकास की धारा से जुड़कर अपना तथा अपनी समाज का सर्वांगीण विकास करने में सहयोगी सिद्ध हो सकें।

संस्था की प्रगति एवं उन्नति हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करते हुये शासकीय अनुदान धरानिधि अवमुक्त करने की संस्तुति करता हूँ।

15-4-88  
 श्री एम सिंह मौर्य  
 जिला विकास अधिकारी  
 फर्रुखाबाद।



किस,

सीएसएड वर्मा,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

क्या है,

सचिव,  
भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं प्रविष्टारिता  
विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

समाच संख्या 2

तारीख: दिनांक 25 मई, 1999

विषय: वर्ष 1998-99 में भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति कर्जाबाद  
द्वारा तैयार किया गया तुम्हारे अध्यक्षता में तैयार प्रस्ताव क्र. 125 के अंतर्गत  
के अर्थों के लिए मोडल का अर्जा नं. 0 गवाहाबाद जिला कर्जाबाद की  
वर्ष 1998 के प्रस्ताव के संदर्भ में ।

संदर्भ,

अनुक्त विषयक योजनात्मक उच्च स्तर की ग्राम विकास अधिकारी  
के कर्जाबाद के आदर से प्राप्त की गई प्रस्ताव प्रस्ताव में केन्द्रीय सहायता हेतु  
संलग्न की प्रकृत करने का इसे निम्न हुआ है ।

संलग्नक: यथोचित ।

सद्विधि,

सीएसएड वर्मा,  
विशेष सचिव।

संख्या: 1015/26-2-99 तदुदिनांक ।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुम्हारे एवं आवश्यक कर्जाबाद हेतु प्रकृत:-  
ग्राम विकास अधिकारी, कर्जाबाद जो उनके फाईल नं. 2978/305-मु.सि.1/98-  
99 दिनांक 16.4.99 के संदर्भ में ।
- 2- ✓ अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, कर्जाबाद ।
- 3- संबंधित सहायक/ वार्ड कार्यालय ।

ATTESTED



जगत मे,  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



Compared & signed  
[Signature]  
[Signature]

File No.11-3/98-AG

Name of the Scheme : Assistance to Voluntary Organisation in the Field of Social Defence.

<u>S.No.</u>	<u>Items</u>	<u>(Amount in Rs.)</u>
<b>A. <u>RECURRING GRANT</u></b>		<b>(October,99 to March,2000)</b>
1.	Programme Coordinator (1)-Cum-counsellor @ Rs.2500/- p.m.	30000
2.	Non-formal Educator (1) @ Rs.1500/- p.m.	18000
3.	Vocational Trainer (1) @ Rs.1500/-p.m.	18000
4.	Aya @ Rs.900/- p.m.	10800
5.	Part time Doctor (1)@ Rs.600/-p.m.	7200
6.	Rent for accommodation @ Rs.3000/- p.m.	36000
7.	Contingency @ Rs.2000/-p.m.	24000
8.	Nutritions @ Rs.5/- per day per child for 25 days in a month	37500
9.	Recreation (One exurcursion)	3000
Total :		184500
Less Organisation's Share 10% :		18450
Less Unspent Balance :		Nil
Net Grant :		166050

First instalment release for the year 1999-2000 Rs. 83025/-



(Virendra Singh)

Under Secretary to the Govt of India

ATTESTED



Compared to original.  
Advocate Satya Prakash.

Date  
29/03/2016

# फोलियो

8-  
लिए)  
102

## केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy.	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
06 11 2002 [Handwritten signature]	11 MAR 2002	11 MAR 2002	[Handwritten signature]

अगदीशचन्द्र सागर  
एडवोकेट  
फोन नं. 8564/2000

W/A  
3/100



32/11/02  
मूल पत्रा 4209PC  
अन्तिम रिपोर्ट संख्या - 6/2002

पु. अ. नं. 422/2000 अन्तिम रिपोर्ट नं. 6/2002  
दिनांक 18-10-2000 (ह्रादी को सूचना के लिए)  
दिनांक 15-1-2002

<p>वादी या सूचना देने वाले का नाम पता-</p>	<p>श्रीरामजीत कुमार जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहगढ़ - फ. क. ख. वा. 4</p>	
<p>भियोग का स्वरूप</p>	<p>पत्रा 4209PC 3A</p>	
<p>चुराई गई सम्पत्ति का विवरण - (यदि कोई हो)</p>	<p>32/11/02 उप. - 25-02-02</p>	
<p>अभियुक्त व्यक्तियों के नाम व पते - (यदि कोई हों)</p>	<p>राम वा. व. चिरंजीलाल R/O लोया वा. 4 शा. ए. ड. PS-</p>	
<p>दिरपतारी यदि को गयी हो तो दिरपतारी का दिनांक -</p>	<p>को. त. ए. ए. जनपद ए. ए. अ. ए. ए. भारतीय ग्रामीण सेवा ग्रामोद्योग विकास समिति जनसंयुक्त कार्योदय फतेहगढ़ फ. क. ख. वा. 4 श्रीमानजी</p>	
<p>मुक्त किए जाने का दिनांक -</p>	<p>निवेदन से मुक्त</p>	
<p>समय कितना जमानत पर या मुचलके पर छोड़ा गया ?  (हथियारों सहित) गयी हो। कितने कहीं तथा मजस्ट्रेट के पास भेजी गयी या नहीं? विवरण -</p>	<p>उपरोक्त की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य से साबित होता है कि भारतीय ग्रामीण सेवा ग्रामोद्योग विकास समिति जनसंयुक्त कार्योदय फतेहगढ़ द्वारा संन्यासित जनता सुधार एवं सामाजिक प्रशिक्षण केन्द्र पर चुराई शमला वा. 4 जिला फ. क. ख. वा. 4 दि. 1-5-2000 को निरीक्षण के समय भी संन्यासित था और अब भी संन्यासित है किन्तु निरीक्षक वहां तक नहीं पहुंच सके। समिति का J.W. कार्ड सं. 10 दि. 1-5-2000 को जिला फ. क. ख. वा. 4 को भेजा था। समिति के कार्यालय को जमानत देकर निरीक्षण वापस लौट गए। अतिरिक्त कोई भी पुर्तू साबित नहीं हुआ और F.R. डेपुटि को. त. ए. ए. जमानत की जाती है।</p>	
<p>प्रथम सूचना या पुलिस कार्यवाही का सहित विवरण जांच भरने का कारण -</p>	<p>15/11/2002</p>	
<p>दिन-दिनांक रात</p>		
<p>न्यायालय की आज्ञा -  प्रधान प्रतिलिपि न्यायालय 11 MAR 2002</p>	<p>15/11/2002</p>	<p>रस्ताधर मजिस्ट्रेट अध्यक्ष</p>

Handwritten notes and scribbles at the top of the page.

# फोलियो



(2)

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
Serial No. 5 76/02 Head Copient Judge Fbd.	12 JUN 2002	12 JUN 2002	<i>[Signature]</i>

Vertical handwritten text on the left side.

Handwritten numbers and scribbles.



Compared to original  
Adm. Saty & Prakesh.

Handwritten signature and date at the bottom left.






321/02 ST m 2002

28/5/02 आज F R बरकतुल्ला  
नाडी जीर हाजिरे  
जोहरा उमम कि  
कुरमम रिजो 23/5/02  
का पेज हो।  
CSM

31-5-2002 आज पना वली प्रस्तुत  
वाशी अनुपस्थित  
जोरिसा वाड तामील  
वापस वाही उमम  
जमयेवा उमम कि जोरिस  
बमाम वाशी रिजो  
2/6/02 को जारी हो।  
CSM



02.06.2002 अकाश रविवार।  
आज पनावली पेश हुयी। इस प्रकरण में जिक्र द्वारा  
03.06.02 अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर वादी को नोटिस  
दिया गया। वादी पर नोटिस की तामील भेजी गयी कि ताक्षी  
[वादी] पर तामिला हाल तनाताता पर नोटिस निगति कि आज का  
मे जिमते-तामिल पदाप्त मानी जा चुकी है। लेकिन वाके वाकद भी  
गती अनस्थित है। अतः अन्तिम आख्या को और समय तक तामिल  
रखना उचित नहीं है। अतः अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है।  
पनावली दवाखाने दफ्तर हो।

प्रमाणित प्रतिलिपि

2/6/02  
सीओएम

ब्रह्म प्रतिलिपि  
कमल नारायण  
संकाय  
12 JUN 2002



प्रेरक,

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्रुखाबाद।

स्वा में,

विशेष सचिव,  
समाज कल्याण  
अनुभाग-2 उ०प्र०, शासन,  
लखनऊ।



पत्रांक 7364/श्रीतीर्थ/जांच/02 दिनांक 2-8-2002

महोदय,

द्विपया अने पत्रांक 01 भा०शा०/26-2-2002 -1/388/98 दिनांक 30-1-2002 का अपलोकन करने का कट करें, जिसके द्वारा स्वीच्छक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद द्वारा संभालित 25 बच्चों के पुर्नवास के सम्बन्ध में जांच आख्या चाहो गई है।

उक्त परिपेक्षा में अवगत करना है कि उक्त स्वीच्छक संस्था को जांच दिनांक 2-8-2002 को को गई, जो निम्न प्रकार है:-

भा०शा०क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के द्वारा विकास ग्रुप शमशाबाद के अन्तर्गत मो०जयपुरा मो० शमशाबाद में संभालित जनता सुधार शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र [बच्चों] के 25 बच्चों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ समिति के सहायक लेखाकार, श्री विमल कुमार गुप्ता, समिति के पदेन सदस्य श्रीमती तालवती निरीक्षण अधिकारी श्री संजोव कुमार जिला शाबाबा के श्री ओमन्द प्रोग्राम अधिकारी केन्द्र के समस्त स्टाफ सहित गोके पर उपस्थित मिले।

इस केन्द्र पर बक्षा-3 व 4 में पंजीकृत छात्रों को सूची संलग्न है। पंजीकृत 25 बच्चों को उपस्थित लेने पर 25 बच्चे उपस्थित मिले, जतिक लगभग 50-60 बच्चे विना पंजीकरण के विधालय में शिक्षा ग्रहण करने आये हुए थे। पंजीकृत छात्र/छात्राओं से उनके परिवार में उनके माता-पिता के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, तो यह बात हुआ कि सभी छात्र/छात्राओं के माता-पिता के हैं, उनके माता-पिता साथ-साथ पर नाव गाना बजाना, मजदूरी एवं भोज मांग कर तथा कलावाजी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बच्चों की मातायें घारेलू महिला के रूप में रहती हैं, धूमक कनो-झो नाच गाने का कार्य करने पर महिलाओं को जरायम पेशा करने पर मजदूर किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के साथ ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। जानकारी करने पर बच्चों ने बताया कि प्रश्न-इत केन्द्र पर उनकी प्रतिदिन नास्ते के रूप में फल गिठार्ड खी जाते हैं तथा मनोरंजन के लिये टोठवो० भाने दिखाया जाता है।



Compared to original  
Adv. Saly atrols  
29/3/16

मौके पर केन्द्र में एक कमरे में ~~कोक बोर्ड~~ एण्ड वाइट टी0वी0 पाया गया तथा 5 रु0 प्रति छात्र को दर से बच्चों को जलपान कराये जाने की पुष्टि उपस्थित छात्र/छात्राओं ने की। निम्न विवरण रजिस्टर/पत्रावली का अपलोकन करने पर था था म्थः।

इस केन्द्र पर निम्नलिखित स्टाफ मौके पर उपस्थित मिला तथा उनसे उन्हे प्रतिमाह मिलने वाले वेतन को जानकारी करने पर निम्न स्थिति बताई गई:

क्र0सं0	नाम अधीकारो/कर्मचारी	पद	देय वेतन
1-	श्री पूरनमाल दिवाकर	संचालक अधीन	2500-00
2-	,, मती आशा देवी	ध्याय0 अनु0	1500-00
3-	,, धर्मन्द्र कुमार	अनु0	1500-00
4-	,, मती रामकान्ती	आया	900-00
5-	,, जाहर सिंह वर्मा	पार्ट टाइम डाक्टर	600-00

इस केन्द्र पर बच्चों के बैठने के लिये दरों, लिखाने क्रेड को तहखानों पुस्तकालयों में उपलब्ध पाई गई, निम्न केन्द्र द्वारा निम्नलिखित बच्चों को उपलब्ध कराया गया है।


स्टाफ हेतु 10 कुर्सीयां, 5 गेजें, 6 स्टूल, 2 डेण्डचेयर, 5 रिक्लाई मशीन एक अलमारो एवं अन्य आवश्यक सामग्री मौके पर उपलब्ध पाई गई। सभी बच्चों ने स्टाफ के प्रति सन्तुष्टि पाये गये।

विशेषः:-

यदि समिति द्वारा अपने उक्त केन्द्र पर समाज के अराह्य, अक्षर एवं निम्नप्रति पिछड़ों, अंधों के परिवार के बच्चों को ध्याय0 शिक्षा देलाये जाने हेतु कार्य किया जाये, ताकि उनके रहन-सहन एवं छान-पास में परिवर्तन आ जावेगा, निम्नसे सीदियों से उत्प्रेरित स्व शोषण के शिक्षार लोग राष्ट्र एवं विकास को धारा से जुड़कर अपना तथा अपने समाज का स्वार्थी विकास करने में सहयोगी सिद्ध हो सके।

इस प्रशिक्षण केन्द्र को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधीकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत पत्रावली संख्या 11-3-78 एत0डी0 के अन्तर्गत 98-99 में स्वीकृत की गई थी। अध्यक्ष द्वारा करने पर उनके द्वारा प्रेषित पत्रावली को ध्यायप्रतिपां, उपभोग प्रमां केलेस शोट संलग्न है समिति के प्र गति एवं उन्नति हेतु शासकीय

ATTESTED



१३१

अवगुस्त करने को संस्तुति करता हूं साथ ही प्रति वर्षी पंजीयन वर्षों को  
दुषी भंगे संलग्न को जा रही है।

भवदीय,

१ सुरेश चन्द्र

मुख्य विकास अधिकारी, 02  
फर्रुखाबाद।

ATTESTED



प्रेषक,

जिलाधिकारी  
फर्रुखाबाद

सेवा में,

अनुसचिव  
समाज कल्याण अनुभाग-2  
उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ

संख्या 5200 / आ.उ.स.वि.0010-2002

दिनांक 27-11-2002


विषय :- स्पेशल संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदयोग विकास  
संस्थान फर्रुखाबाद द्वारा 25 बच्चों के पुनर्वास  
के लिए मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा प्रेषित आख्या  
पर संस्तुति विषयक।


महोदय,


उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण का  
जांच प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा दि02-8-2002  
को की गयी थी तथा तदुद्दिनांक को ही अपनी आख्या आपको प्रेषित  
कर दी थी। उक्त आख्या पुनः मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित की जाती है  
कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का बख्श करें। मैं उक्त से  
सहमत हूँ।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय

  
सचिव/सहायक निदेशक  
जिलाधिकारी  
फर्रुखाबाद



Compare d to original  
Adv. Salig a  
  
29/03/16



प्रेषक,

एच०पी० सिंह,  
अनुसचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अनुसचिव,  
भारत सरकार,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

समाज क त्याग अनु भाग-2

लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2002

विषय:- स्वै० संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद  
उ०प्र० को 25 वैध्याओं के बच्चों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 11-3/98-एन डी/सो०डब्लू १,  
दिनांक 27-12-2001 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि :  
उक्त संस्था के कार्य-कलापों को जाँच जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के माध्यम से  
करायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा संस्था के संचालित  
होने की पुष्टि की गयी तथा अनुदान अवसुक्त किये जाने की संस्तुति भी की गयी  
जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के पत्र दिनांक 27-11-2002 के साथ प्राप्त मुख्य विकास  
अधिकारी, फर्रुखाबाद को जाँच आख्या दिनांक 02-08-2002 मूल रूप में संलग्न है

संलग्न - यथास्त

आज्ञा से,

१ एच०पी० सिंह १  
अनुसचिव



Compared to original.  
Advocate Smt. S. S. S. S. S.  
Smt. S. S. S. S. S.  
29/3/02



सर्वाच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण  
संख्या १६३ आ०१६/२६-२-२००४-१(३४)/१०

प्रेषक.

रमा शंकर सिंह,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
फर्रुखाबाद।

समाज कल्याण अनुभाग-२

लखनऊ: दिनांक-३० सितम्बर, २००४

विषय:-स्वै० संस्था ग्रामीण क्षेत्र ग्रमोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद द्वारा २५ वेश्याओं  
के बच्चों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के अशासकीय पत्र संख्या-२५१६/२६-२-०२-१(३४)/  
९८, दिनांक-२६-१०-२००२ का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

२- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन को उक्त संस्था की  
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच करके पूर्व में उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या  
दिनांक-२७-११-२००२ की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भारत  
सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को एक रिट के मामले में  
उक्त जांच की आवश्यकता है। अनुरोध है कि उक्त जांच आख्या एक सप्ताह के  
अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि, समयान्तर्गत भारत सरकार को  
भेजी जा सके।



भवदीय,

(रमा शंकर सिंह)  
विशेष सचिव

Compared to original  
Adus cali Satyā Prasad  
29/3/16

विषयक,

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्रुखाबाद ।

सेवा में,

सचिव,  
समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू हावन  
लखनऊ ।

दिनांक/ 2005  
विषय-

/ स0क0/ स्वे0 सं02004-2005 दिनांक 25/11 2004  
स्वीच्छक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास  
समिति फर्रुखाबाद द्वारा 25 क्वयार्डों के बच्चों के पुनर्वासि  
हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रेषित आडया पर  
संस्तुति विषयक ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अने अर्ध शासकीय पत्र संख्या  
307-FTT0स0/26-2-2004/समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 4  
नवम्बर 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संस्था से सम्बन्धित  
जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के कार्यलय पत्र संख्या 5288/आले0जि030/2002  
दिनांक 27-11-2002 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद जी  
बौध आडया की प्रमाणित प्रति आवश्यक संलग्नों के साथ आपकी सेवा में  
आकर्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।  
संलग्न- उक्तानुसार 17।

भावदीप,

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्रुखाबाद।



*Tinero*



*Compared to original  
Advocate Salya Prasad  
29/10/05*



फौजदारी,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
फर्रुखाबाद ।

सेवा में,

जिला शासकीय अधिवक्ता मित्रिमल  
फर्रुखाबाद ।

पत्र संख्या / 770-99 / स0क0/2005-2006 दिनांक 28/2005

वि 14-

न्यायालय सिविल जज व प्रोफरुखाबाद कोर्ट सं0124  
वर्ग 2000 रामबाबू प्रति भारत सरकार ।

महोदय

कृपया उपरोक्त विधायक अपने कार्यालय पत्र संख्या  
114 दिनांक 5-5-2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें बाद संख्या  
124/2000 की प्रतारवा आख्या आधारी सेवा में आधायक  
संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न- प्रतारवा आख्या  
संलग्नक सहित ।  
शुभपत्र सं 2005/124

भावदीय,

शराम अनुराग  
जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
फर्रुखाबाद ।

Recd  
10/8/05

फर्रुखाबाद संख्या /

/ स0क0/2005-2006 दिनांक ।

प्रतिनिधि जिलाधिकारी महोदय को सेवा में आधायक  
कार्यालयी हेतु प्रेषित ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
फर्रुखाबाद ।



ATTESTED



Compared to original

Advocate Salga Prabhakar

Signature  
20/8/05

व्यवहार मूल वाद संख्या 124/2002, रामबाबू वर्मा पुत्र श्री  
चिरंजीलाल निवासी लोयाबादशाहपुर परगना/तहसील जिला  
एटा वर्तमान अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण  
विकास समिति जय नारायण वर्मा रोड फोहगढ फर्रुखाबाद  
बाद प्रति वादा भारत सरकार व अन्य को प्रस्तारवार आख्या

प्रस्तार-01

यह है कि कुछ नहीं कहना है ।

प्रस्तार-02

स्वैच्छिक संस्था, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास  
समिति फर्रुखाबाद द्वारा संचालित 25 बेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास के  
सम्बन्ध में दिनांक 2-8-2002 को मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद  
द्वारा निरीक्षण के दौरान संस्था के संचालन की पुष्टि की गई।  
शाहक हेतु मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद की जांच रिपोर्ट पत्र संख्या  
7364/ अटॉल 08 जॉच 02 दिनांक 2-8-2002 व व-ा 2001-2002, 2000-  
2001, 1999-2000 एवं कक्षा 3 व 4 में पंजीकृत छात्र/ छात्राओं की सूची  
संलग्न है ।

संलग्नक संख्या 01 से 07 तक ।

प्रस्तार-03

यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग, की  
संस्तुति पत्र संख्या 50/ अनु 0/26-2-98/1358/98 दिनांक 25-3-1998 द्वारा  
स्वैच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति जय नारायण वर्मा  
रोड फोहगढ, फर्रुखाबाद को रु 1,85,288=00 की ग्राण्ट  
स्वीकृत की गई । शाहक हेतु, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं  
अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या 143RHO510  
दिनांक 16-8-2000 की छाया प्रति संलग्न है ।

संलग्नक संख्या -08

प्रस्तार-04

यह है कि उक्त सन्दि-ति संस्था द्वारा स्वीकृत धनराशि  
रु 1,85,288=00 के दुरुपयोग की शिकायत पर सन्दि-ति प्रस्तार 03 में  
भारत सरकार के पत्र संख्या 11-3 रस0डी0 दिनांक 16-8-2000 द्वारा  
जारी निर्देश के अनुपालन में जिला समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद  
के कार्यालय पत्र संख्या 244/सक/संस्था/ रफ0आई आर0/2000-2001  
दिनांक 11-10-2000 के द्वारा धाना कीतवाली फोहगढ में रु 185288/  
के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रथम रूपका रिपोर्ट दर्ज कराई गई। छाया प्रति  
संलग्न है ।

संलग्नक संख्या 9 व 10

जांच रिपोर्ट में धनराशि के दुरुपयोग न होने की दशा में  
जांच अधिकारी द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने के गैरअवसर रिपोर्ट की  
छाया प्रति संलग्न है ।



प्रस्तार 05

यह है कि कथान सत्य है। सन्दर्भित संस्था का निरीक्षण श्री फूल सिंह, जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा जनता सुधार व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, बैरगाओं के 25 बच्चों हेतु मो० जटपुरा रामसाहाद जनपद फर्रुखाबाद का निरीक्षण दिनांक 30-3-1999 किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट को छाया प्रति भ्राक्ष्य हेतु संलग्न है। संलग्नक संख्या 12

प्रस्तार 06

यह है कि कथान सत्य है। जॉच अधिकारों की फाइनल रिपोर्ट संलग्न संख्या 11 का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रस्तार संख्या 08 व 09

प्रस्तार संख्या 10 यह है कि कुछ नहीं कहना है।

जॉच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद हे पत्र संख्या 7364/आ०लि०/जॉच/02 दिनांक 2-8-2002 के द्वारा संस्था के नियमित संचालन एवं अनुदान लिये जाने की संस्तुति तथा जॉच अधिकारों की फाइनल रिपोर्ट में अपराध संख्या 422/2000 धारा 420 आई०पी० सी० दोषा सिद्ध न होना पाया जाना के फलस्वरूप कार्यवाही कुर्की रिकवरी की स्थागत हो गई।

प्रस्तार 11 व 12

यह है कि कुछ नहीं कहना है।

संलग्नक यथापेरि।


श्री राम अनुराग वर्मा

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
फर्रुखाबाद।



1

3



सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्रुखाबाद

निदेशक,  
समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक/  
विषय-

/ 8050/ अनु0/2004-2005 दिनांक दिसम्बर, 2004  
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास समिति जय  
नारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद को जांच आयोग  
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

साहोदर,

व्यथा उपरोक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 338/ 8050/ अनु0/2004-2005/ लखनऊ  
दिनांक अक्टूबर 29, 2004 एवं भारत सरकार/शासन के पत्र संख्या 17020/  
12-91- आर0 सेल/ एस0सी0डी0।। दिनांक 1-10-91 द्वारा भारतीय  
ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास समिति जय नारायण वर्मा रोड फतेहगढ़  
फर्रुखाबाद की वर्ष 1991-92 से अख्तियार कार्य क्वापो के विवरण की  
जांच आख्या चाही गई है। उक्त संस्था के कार्य क्वापो का निरीक्षण  
किया गया। निरीक्षण आख्या एवं संस्था अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराने  
गये अभिलेखों को स्वंगन कर आपकी सेवा में प्रेषित करते हुए संस्था को  
वर्ष 1991-92 से वर्ष 2004-2005 तक के सततीकरण/ केन्द्रीय अनुदान की  
स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

संतानक पत्रों पर  
तीन सेट।

भवदीय,

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्रुखाबाद।

पसंकेत संख्या/ 8050/ अनु0/2004-2005 दिनांक  
प्रतिलिपि अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति  
जय नारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की कृपार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्रुखाबाद।



Handwritten signature or initials.

प्रेषक,  
उमा शंकर सिंह,  
अनुसूचि,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,  
अवर सचिव,  
भारत सरकार,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

6143  
C. R. Dy No. 2/7  
Received on 2/7  
Ministry of Social Justice  
& Empowerment  
Government of India  
New Delhi

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2007

विषय: स्वेच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति पर्रखाबाद की निरीक्षण आख्या भेजने के सम्बन्ध में ।

SCD III

महोदय,  
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत संस्था से सम्बन्धित पूर्व प्रेषित प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के पत्र सं०-2973/26-2-05-1 388/98, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 द्वारा उपनिदेशक, समाज कल्याण तथा मुख्य विकास अधिकारी, पर्रखाबाद/ जिलाधिकारी, पर्रखाबाद की जांच रिपोर्ट भेजी गई है ।

2- तत्कम में सम्युक्ति प्रश्नगत संस्था के सम्बन्ध में तत्समय निदेशक, समाज कल्याण के पत्र सं०-208/सक/अनुदान/2004-05, दिनांक 21 मार्च, 2005 के माध्यम से शासन को प्राप्त जांच आख्या की एक प्रति पुनः संलग्न कर अंतर कार्यवाही हेतु स्तद्वारा प्रेषित है ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

उमा शंकर सिंह  
अनुसूचि ।

पृ० सं०-60एम/18/26-2-07 तदु दिनांक ।

उपरोक्त की प्रतिलिपि अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, पर्रखाबाद को उनके पत्र दिनांक 30 मई, 2007 के संदर्भ में सूचनाय प्रेषित ।

आशा है,

आर. बी. नर्मा  
अध्यक्ष  
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति  
राज्य शाखा, पर्रखाबाद  
पुणे, महाराष्ट्र



प्रो.क,

भावार्य सुरेश बाबू,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

समाज कल्याण अनुभाग-2

तखनक : दिनांक 28 मार्च, 1998

विषय:- स्वर्डी 1997-99 में स्वी० संस्था ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास समिति, जयनारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद को अनुसूचित जाति के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता ।

ज्यो.तप,

उपर्युक्त विषयक योजना के अन्तर्गत संस्था का प्रस्ताव राज्य सरकार को संस्तुति पत्रित नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ भ्रमणार्थ करने का पत्र निदेश हुआ है ।

संलग्न:- यथोक्त ।

भवदीय,

भावार्य सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।

संख्या-998111/26-2-98, तददिनांक ।

प्रतिलिपि विमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 111- निदेश, समाज कल्याण, उ०प्र०, तखनक को उनके पत्र संख्या-645/ 1040/अनु०/97-98, दिनांक 27-3-98 के संदर्भ में ।
- 121- अध्यक्ष, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास समिति, जयनारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद ।
- 131- संबंधित सहायक/गाई फाईल ।

आज्ञा में,

भावार्य सुरेश बाबू ।  
अनु सचिव ।

2



सेवा में

श्री. सी. सिंह,  
महाप्रबन्धक, 1503201  
उ०प्र० अनुसूचित जाति विस्तार एवं विकास निगम लि०  
बो०-912 सेक्टर "बी" महानगर, लखनऊ।

सेवा में

श्री. बी. एल. श्रीवास्तव,  
निदेशक,  
अनुसूचित जाति/जनजाति,  
भारत सरकार कल्याण मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक/  
विषय:-

/150320/ विविध दिनांक:  
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास समिति, इटावा  
को संस्था वैशुवन्दी अनुदान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त  
किट पाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संस्था के अलग प्रार्थना पत्र का  
अवलोकन करने की कृपा करें। यह संस्था वर्तमान में अपने छोटे-सा पैमाने  
से महिला सिलाई/कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करती है। भविष्य में  
यह संस्था अलग प्रस्तावानुसार कार्यक्षेत्र में गोलियास जाएगी। संस्था  
वैशुवन्दी संस्था अनुदान मद से इस विकासशील संस्था के लिए  
निर्मानुसार जैसे कि अन्य संस्थाओं को विस्तार पोषित किया जा रहा  
है, इसे भी अतिशय सहायता स्वीकृत करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

श्री. सी. सिंह  
महाप्रबन्धक, 1503201

पृष्ठांक सं०/ 980 तारिख दिनांक: 16-7-91

प्रतिशोध:-

श्री रामबाबू वर्मा, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण  
विकास संस्था इटावा को उनके प्राकृतिक पत्र दिनांक  
15-7-91 के क्रम में सूचनाई प्रेषित।

*(Signature)*



श्री. सी. सिंह  
महाप्रबन्धक, 1503201

No. 17020/12/91-SCD(R.Cell)  
Government of India  
Ministry of Welfare.

Shastri Bhavan, New Delhi.  
Dated the 31st July, 1991.

The President,  
Bhartiya Gramin Kshetra Gramadyog,  
Vikas Samiti, Katra Fateh Mehmood Khan,  
Itawa,  
Uttar Pradesh.

Subject: Proposal for grant-in-aid to undertake various activities like rural housing, Mini-dairy, tailoring training to Scheduled Caste women, drinking water etc.

Sir,

I directed to refer to your letter No. 221 dated 16.7.91 on the above subject and to request that one more copy of the proposal for grant-in-aid may be provided to this Ministry.

Yours faithfully,

(B.N. Srivastava)  
Director.







महावीर प्रसाद  
MAHABIR PRASAD

मंत्री  
रूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम  
भारत सरकार  
नई दिल्ली - 110011

MINISTER  
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
GOVERNMENT OF INDIA  
NEW DELHI - 110011

फरवरी, 2009

प्रिय श्रीमती मीरा कुमार जी,

में इस पत्र के साथ श्री आर.वी. वर्मा, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र संलग्न कर रहा हूं जिसमें इन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

मेरा आपसे आग्रह है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति को अनुदान दिलाये जाने के संबंध में समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

सादर,

आपका,

  
(महावीर प्रसाद)

श्रीमती मीरा कुमार,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,  
भारत सरकार,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली



No.11020/55/2008-SCD-III  
Government of India  
Ministry of Social Justice & Empowerment

Shastri Bhawan, New Delhi  
Date: 23<sup>rd</sup> June 2008

To

The Principal Secretary  
Department of Social Welfare  
Government of Uttar Pradesh  
Lucknow, Uttar Pradesh.

Sub: IR/Recommendation in respect of Bhartiya Gramin Kshetra Gramodyog  
Vikas Samiti, Farrukhabad, Uttar Pradesh - reg.

Sir/Madam,

Please refer to your letter No.60M/26-2-2007-1(38)/98 dated 28<sup>th</sup> June 2007 forwarding therewith inspection report of Bhartiya Gramin Kshetra Gramodyog Vikas Samiti, Farrukhabad, Uttar Pradesh.

As per this Ministry's Letter No 1-31/2006-Cdn dated 21-03-2007, the proposals including inspection reports are required to be recommended by the multi-disciplinary grant-in-aid committee of the State Government. The aforesaid proposal does not seem to have been recommended by the multi-disciplinary grant-in-aid committee of the State Government.

It is therefore requested that the proposal may be sent to this Ministry with the recommendation of multi-disciplinary grant-in-aid committee.

Yours faithfully,

L. Marandi

(L. Marandi)

Under Secretary to the Govt. of India

